# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः— 00188/2018/223**

1. अमरचंद पुत्र स्व0 मांगीलाल,
2. रंगलाल पुत्र स्व0 नन्दा,
3. सरदार पुत्र स्व0 नन्दा,
4. रतन पुत्र स्व0 श्योजीराम,
5. जेठू पुत्र स्व0 श्योजीराम,
6. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्योजीराम,
7. गोकूल पुत्र स्व0 रामचन्द्र,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम काकनियावास, तहसील किशनगढ़, हाल तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. खेतूराम पुत्र स्व0 कालूराम,
2. रोडूराम पुत्र स्व0 कालूराम,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम काकनियावास, तह0 किशनगढ़ हाल तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, रूपनगढ़ दिनांक 5.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 220/2014.**

**उपस्थितः—**

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री के0के0पुरोहित, वकील रेस्पोडेंटस ।

## निर्णय

**दिनांकः— 22.01.2021**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काकनियावास स्थित आराजी खसरा नंबर 141 रकबा 40—13—00 रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की शामलात की भूमि है तथा गै0मु0चाह खसरा नंबर 235 रकबा 17 बिस्वा में 1/2 हिस्सा रेस्पो0 का व 1/2 हिस्सा अपीलांटस का है। अपीलांटस/प्रतिवादीगण आये दिन रेस्पो0/वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत करते है तथा कृषि भूमि खसरा नंबर 141 में जबरन प्रवेश कर काश्त करने का प्रयास करते है । इस कारण लड़ाई झगड़ा होता है । दिनांक 20.10.2009 को भी अपीलांटस/प्रतिवादीगण एवं इनके परिजनों ने जब वादी/रेस्पो0 संख्या

2 का पुत्र भूमि पर ट्रेक्टर से जुताई करने गया तो उस पर हमला कर दिया और खसरा नंबर 233 गै0मु0चाह में जिसमें रेस्पो0/वादीगण का 1/2 हिस्सा है, में पानी लेने में मदाखलत करते है जिससे उपरोक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने उपस्थित होकर जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया । अधी0न्याया0 ने दिनांक 5.6.2018 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 141 रकबा 40 बीघा 13 बिस्वा के बाबत् वादीगण के द्वारा वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया जिसका विस्तृत जवाब प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि वादीगण के पिता कालू स्व0 धुकल के जायंदा पुत्र थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र खेतूराम व रोडूराम की सहमति से खसरा नंबर 141 आपसी भाई बंटवारे में अपने पिता धुकल को संभला दिया था । उपरोक्त आराजियात पर मांगीलाल, श्योजीराम, रामचन्द्र काबिज काश्त है । आराजी खसरा नंबर 141 पर प्रतिवादीगण के मकान बने हुए है तथा उपरोक्त सहमति दिनांक 19.6.1983 को 1/—रू0 के स्टाम्प पर लिखी गई थी जिसमें स्वंय वादीगण के हस्ताक्षर मौजूद है । इस आधार पर मांगीलाल, श्योजीराम, रामचन्द्र के विधिक वारिसान अमरचंद पुत्र मांगीलाल का 1/3 स्सिा, रंगलाल व सरदारा का 1/12 हिस्सा, रतन का 1/12 हिस्सा, जेठू का 1/12 हिस्सा, रामेश्वर का 1/12 हिस्सा तथा गोकूल का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी एवं उद्घोषणा चाही गई । उक्त बाबत् तनकी संख्या 2 व 3 बनाई गई परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी भी तनकी का निर्णय नहीं किया गया है और प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का निर्णय भी नहीं किया गया है जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि व ादों जिनमें विवाधक की विरचना की गई है, जब तक विवादकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चयन के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाधक पर अपना निष्कर्ष का विनिश्चय उस निर्मित कारणों के सहित देगा । अधी0न्याया0 द्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी भी विवाधक का निर्णय नहीं किया गया है । जिससे विधि द्वारा बनाये गये प्रावधानों की अवहेलना किया जाना स्पष्ट होता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.7.2018 नियत थी जो आदेशिका दिनांक 12.4.2018 से स्पष्ट है। उपरोक्त आदेशिका में वास्ते साक्ष्य प्रकरण सूचीबद्ध था जिसके पश्चात् दिनांक 5.6.2018 को उपरोक्त प्रकरण कैम्प कोर्ट में नियत कर निर्णित कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वाद का निर्णय प्रतिवादीगण/अपीलांटस की अनुपस्थिति में हुआ है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर स्वंय वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिवादीगण के

कब्जे को स्वीकार किया है और चाह खसरा नंबर 233 पर 1/2 हिस्सा वादी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का स्वीकार किया गया है परन्तु राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 141 पर दर्ज इंद्राज का लाभ उभकर वाद प्रस्तुत किया है जिसका निर्णय मेरिट पर होने से पूर्व ही अधी0न्याया0 के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2018 को पारित कर दी गई जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन वाद में वर्णित आराजियात के वादीगण तन्हा खातेदार नहीं है जिससे वादीगण के द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद नहीं लाया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 141 रेस्पो0 के पूर्वज कालू पुत्र गोपाल के नाम एकीकरण संवत् 2019 से दर्ज चली आ रही है । विवादित आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध नहीं है । खसरा नंबर 233 रकबा 17 बिस्वा गै0मु0चाह में 1/2 हिस्सा वादीगण/रेस्पो0 का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण/अपीलांटस का है। अपीलांटस द्वारा खसरा नंबर 141 में बिना किसी अधिकार के प्रवेश करने तथा रेस्पो0 के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने के कारण अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है । विवादित आराजी बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 117/2009 में निर्णय दिनांक 15.6.2011 को पारित कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था तथा यह निर्णय मान0 राजस्व मण्डल तक यथावत् रहा है । जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलांटस का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के वैध स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नंबर 141 रकबा 40 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कांकनियावास तहसील किशनगढ़ में स्थित है । इसी प्रकार गैर मु0चाह खसरा नंबर 233 रकबा 17 बिस्वा ग्राम कांकनियावास तह0 किशनगढ़ में स्थित है जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है शेष 1/2 हिस्सा स्व0 धूकल के उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 141 में जबरन प्रवेश करने का प्रयास करते है तथा खसरा नंबर 233 गै0मु0चाह में भी वादीगण को 1/2 हिस्से का पानी प्राप्त करने का अधिकार है किन्तु प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न करते है। अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 141 रकबा 40 बीघा 13 बिस्वा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता मांगीलाल तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा श्योजी तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 के पिता श्योजी एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पिता रामचंद भाई बटवारे अनुसार अर्से दराज से काबिज काश्त चले आ

रहे है । उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 141 तथा मकान व खेतों का बंटवारा बाबत् वादीगण स्वंय तथा इनके पिता कालू द्वारा दिनांक 19.6. 1983 को एक रूपया के स्टाम्प पर भाई बटवारा प्रतिवादी के पूर्वज धूकल पुत्र जगरूप के पक्ष में कालू पुत्र गोपाल जो कि धूकल का जायंदा पुत्र है तथा उनके वारिस वादीगण खेतू व रोड़ा दोनों ने रूबरू गवाहान जमनालाल शर्मा से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किये थे । वादीगण अपने स्वंय के द्वारा लिखे गये बंटवारे से बाधित है । विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है । खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 तक गिरदावरी वास्तविक कब्जे के आधार पर हुई थी । प्रतिवादपत्र में आगे कथन किया कि खसरा नंबर 233 गे0मु0चाह रकबा 17 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगबण का 1/2 हिस्सा है तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार सिचांई कर रहे है। खसरा ंनबर 141 पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है । वादीगण ने निराधार वाद पेश किया है जिसे निरस्त किया जावे । उक्त प्रतिवादपत्र के साथ काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी भाई बंटवारे में प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है जिस पर वे 27 वर्षो से काबिज काश्त है । अतः प्रतिवादपत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 141 रकबा 40 बीघा 13 बिस्वा बाबत् वादीगण का नाम विलोपित कर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 को 1/12 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 6 को 1/12 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 7 को 1/3 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

7. अधी0न्याया0 ने पत्रावली में दिनांक 20.9.2011 को वादपत्र में तीन तनकियात कायम की । तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु विचाराधीन रही । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 12.4.2018 की आदेशिका अनुसार उभयपक्ष के वकील उपस्थित । साक्ष्य हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 5.6.2018 को पेश हो । दिनांक 5.7.2018 से पूर्व ही पत्रावली पर सील लगाकर पत्रावली को कैम्प कोर्ट पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र बुहारू दिनांक 5.6.2018 में रखने के आदेश पारित किये । यह आदेश अधी0न्याया0 द्वारा किस दिनांक को दिये गये है इस संबंध में आदेशिका में तारीख अंकित नहीं है। दिनांक 5.6.2018 को अधी0न्याया0 ने कैम्प बुहारू में वादी/रेस्पो0 की एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में तीन तनकियात कायम की गई है किन्तु अधी0न्याया0 ने निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत् किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है जबकि अधी0न्याया0 को काउन्टर क्लेम बाबत् भी निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को अपीलांटस को बिना सूचित किये कैम्प कोर्ट बुहारू में रखकर बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है । अतः अधी0न्याया0 द्वारा काउन्टर क्लेम को निर्णित नहीं किये जाने तथा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किये जाने से पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक उप जिला कलक्टर, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवर प्रदान कर वाद एवं काउन्टर क्लेम को तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर हो ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

9. निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**